

2015 का विधेयक सं.17

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होगा।

2. 2006 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 13) की धारा 3 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जो एक मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से और प्रत्येक पश्चात्तर्वर्ती अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से," के स्थान पर, अभिव्यक्ति "जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से और प्रत्येक पश्चात्तर्वर्ती अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से," प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह पाया गया है कि नगरपालिक क्षेत्रों में स्थित घरों, दीवारों, बाड़ों और अन्य संरचनाओं को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सामान्यतया विरूपित किया जाता रहा है। ऐसा विरूपण लोक दृश्य और सम्पत्तियों के सौन्दर्य को दूषित करता है और इससे नागरिकों के साथ-साथ आगंतुकों के मन में भी शहर या कस्बे की छवि खराब होती है। इसलिए, ऐसे क्रियाकलापों पर रोक लगाने और ऐतिहासिक, पर्यटन और विरासत के महत्व के स्थानों को सम्मिलित करते हुए, सभी स्थानों की मौलिकता और सौन्दर्य को संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की गयी। इस प्रयोजन के लिए, राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया था। किन्तु अब यह महसूस किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन विहित शास्ति इतनी अत्यल्प और अपर्याप्त है कि इससे गहन सतर्कता और प्रवर्तन के बावजूद ऐसे क्रियाकलापों को रोका नहीं जा सकता। इसलिए, इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में विहित शास्ति में वृद्धि करने और तदनुसार उक्त उप-धारा को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

राजपाल सिंह शेखावत,
प्रभारी मंत्री।

**राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 (2006 का
अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण**

XX XX XX XX XX

3. सम्पत्ति के विरूपण के लिए शास्ति.- (1) जो कोई भी किसी भी लोक दृश्यान्तर्गत आने वाली किसी भी सम्पत्ति को विरूपित करके या उस पर थूक कर या पेशाब करके, या पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि चिपका करके या ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी का नाम और पता उपदर्शित करने के प्रयोजन के सिवाय स्याही, चाक, रंग या किसी भी अन्य सामग्री या रीति से लिखकर या चिह्नित करके विरूपित करता है, वह प्रथम अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से और प्रत्येक पश्चात्तर्वर्ती अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई भी अपराध किसी अन्य व्यक्ति या किसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों के किसी संगम (चाहे वह निगमित हो या नहीं) के फायदे के लिए है वहां ऐसा अन्य व्यक्ति और प्रत्येक अध्यक्ष, सभापति, निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव, एजेन्ट या, यथास्थिति, उसके प्रबंध मण्डल से संबंधित कोई भी अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर दे के अपराध उसकी जानकारी या सम्मति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जायेगा।

XX XX XX XX XX

**THE RAJASTHAN PREVENTION OF DEFACEMENT OF
PROPERTY (AMENDMENT) BILL, 2015**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Prevention of Defacement of Property Act, 2006.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Prevention of Defacement of Property (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force on and from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No 13 of 2006.- In sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Prevention of Defacement of Property Act, 2006 (Act No 13 of 2006), for the existing expression "one month or with fine which shall not be less than one hundred rupees but which may extend to one thousand rupees or with both, and in case of each subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which shall not be less than two hundred rupees but which may extend to two thousand rupees or with both.", the expression "one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees or with both, and in case of each subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees or with both." shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It has been found that houses, walls, fences and other structures situated in the municipal area are usually defaced by various persons. Such defacement spoils the public view and the beauty of the properties and causes the bad image of the city or town in the minds of citizens as well visitors. It is, therefore, felt necessary to put a check on such activities and preserve the originality and beauty of all places including the places of historical, tourism and heritage importance. For this purpose the Rajasthan Prevention of Defacement of Property Act, 2006 was enacted. But, now it is felt, that the penalty prescribed under the Act is too meagre and insufficient to check such activities in spite of close vigil and enforcement. Therefore, the State Government has proposed to enhance the penalty prescribed in sub-section (1) of section 3 of the Act and amend the said sub-section accordingly.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

राजपाल सिंह शेखावत,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN
PREVENTION OF DEFACEMENT OF PROPERTY
ACT, 2006
(Act No. 13 of 2006)**

XX XX XX XX XX

3. Penalty for defacement of property.- (1) Whoever defaces any property in public view by defacing or spitting or urinating or pasting pamphlets, posters etc. or writing or marking with ink, chalk, paint or any other material or method except for the purpose of indicating the name and address of the owner or occupier of such property, shall be punishable, in case of first offence, with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which shall not be less than one hundred rupees but which may extend to one thousand rupees or with both, and in case of each subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which shall not be less than two hundred rupees but which may extend to two thousand rupees or with both.

(2) Where any offence committed under sub-section (1) is for the benefit of some other person or a company or other body corporate or an association of persons (whether incorporated or not) then, such other person and every President, Chairman, Director, Partner, Manager, Secretary, Agent or any other officer or person concerned with the management thereof, as the case may be, shall, unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such offence.

XX XX XX XX XX

2015 का विधेयक सं.17

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री)

**THE RAJASTHAN PREVENTION OF DEFACEMENT OF
PROPERTY (AMENDMENT) BILL, 2015**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

*to amend the Rajasthan Prevention of Defacement of Property
Act, 2006.*

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

**PRITHVI RAJ,
Special Secretary.**

(Rajpal Singh Shekhawat, **Minister-Incharge**)